

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम :- **District Programme Management Unit (DPMU)**

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)– **Strengthening of DHS/DPMU (Includes salary of DPM, DAM, DME0, DPC, Recurring Expenses)**

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – **A.10.2**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम)

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है, ताकि स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन को विकेंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके एवं राज्य के लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा सके। इसी के तहत जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यरत है।

इकाई राशि –

One DPMU Expenses (Salary Head):

Sl. No.	Particular	No. of Post	Salary per month in 2011-12 after 10% Annual increment, if one year service has been completed	Annual Increment 2012-13 (10% - After completion of one year service) subject to the upper limit of Salary Range	Amount (Per Annum)
1.	District Programme Manager	1	38962	42000	504000
2.	District Accounts Manager	1	32670	35937	431244
3.	District M & E Officer	1	27225	29947	359364
4.	District Planning Coordinator	1	22000	24200	290400
Total					1585008

One DPMU Recurring Expenses:

Sl. No.	Particular	Amount (PM)	Amount (per Annum)
5.	Recurring Expenses (Including Mobility and Office expenses, Assistant or Data Entry Operator (2 nos.) @ Rs. 8000 per month each, 1 Office Assistant (Accounts), 1 Office Assistant @ Rs. 6000 per month each, Rent of DHS Office, Meeting expenses and purchase of furniture.	87000	1064000 (Including Rs. 20,000 P.A. for purchase of furniture)

1 DPMU के लिए $1585008 + 1064000 = 26,49,008$ (कुल 12 महीनों के लिए)।

वित्तीय दिशा-निर्देश-

- (1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जाती है। Mobility and office expense मद की राशि का उपयोग सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आवश्यकतानुसार DPM, DAM, M & E Officer एवं District Planning Coordinator के अलावे DCM (ASHA) भी कर सकेंगे।
- (2) कार्यालय पत्रांक SHSB/FA/21/2006/5492 दिनांक 06.03.2008 के आलोक में जिले में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु एक वाहन सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन एवं एक वाहन जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट के अधीन रहेंगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या, तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22884 दिनांक 17/01/2011

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम

– जय प्रकाश सिंह (बि०प्र०से०)

वरीय उप-समाहर्ता-सह-प्रभारी, मानव संसाधन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर – का० – 7488270145 / मोबाईल – 9470003012

(Signature)

(Signature)
20/07/11